परसेंट हो। महोदय, जब 25 किलो प्रति परिवार को मिलना शुरू हो जाएगा, हमारी व्यवस्था देना शुरू कर देगी तो फिर हम प्रधान मंत्री जी को कहेंगे कि इसे और बढ़ाने की कोशिश की जाए। समस्या यह है कि यह भी नहीं दिया जा रहा है, यह भी नहीं पहुंच रहा है।

MR CHAIRMAN: We have taken 35 minutes on this question. Now, Question No. 262.

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारों की दशा

*262 **श्रीमती सरोज दुबे**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकारों की दशा दयनीय है;

(ख) यदि हां,तो क्या सरकार कर्मकारों को पूरे वर्ष रोजगार दिलाने तथा उन्हें समुचित पारिश्रमिक दिलाने के लिए कोई गदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार को असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकारों की समस्याओं की जानकारी है। असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकार देश में कुल श्रम बल का लगभग 92 प्रतिशत है। इनमें से अधिकांश कर्मकार कृषि में लगे हैं जिसमें रोजगार मौसमी प्रकृति का होता है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने और कर्मकारों की दशा में सुधार लाए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जो निमन्वत् हैं:-

(i) पूरे देश में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यन्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है – स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आश्वासन योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। शहरी क्षेत्रों में, गरीबों को लाभदायी रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु 1.12.97 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चल रही है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यन्वित की जा रही है।

(ii) नवीं योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार के सृजन और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गयी है। इस योजना में बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों वाले क्षेत्रों में उन सैक्टरों, सब-सैक्टरों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो श्रम बहुल हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आकलनों के अनुसार, देश में कुल रोजगार 1993-94 में 374 मिलियन से बढ़कर 1999-2000 में 397 मिलियन हो गया है (सामान्य प्रमुख एंव गौण स्थिति पर आधारित)।

(iii) अगले 10 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन एक करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रोजगार सृजन संबंधी नीतियों के बारे में सुझाव देने के लिए आयोग द्वारा डा.एम.एस. अहलुवालिया की अध्यक्षता में असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं।

(iv) असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे अधिकांश कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए न्युनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों के संबंध में कर्मकारों की न्यून्तम मजदूरी के निर्धारण, समीक्षा, संशोधन और अदायगी प्रवर्तन हेतु समुचित सरकारें हैं।

(v) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग से विभिन्न श्रम कानूनों की समीक्षा करने और एक व्यापक विधान का सुझाव देने का अनुरोध किया गया है ताकि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संरक्षण का न्यून्तम स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

Condition of unorganised workers

† *262. SHRIMATI SAROJ DUBEY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that workers engaged in unorganised sector are living in pitiable conditions;

(b) if so, whether Government propose to take any steps for providing employment to labourers throughout the year and ensure proper remuneration to them;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

† Original notice of the Question was received in Hindi.

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Government is aware of the problems of the workers engaged in the unorganised sector, which constitutes almost 92% of the workforce in the country. Majority of these workers are engaged in agriculture where employment is of seasonal nature. Some of the major steps taken by the Government for providing employment opportunities and improving the conditions of the workers in the unorganised sector arc as follows:—

(i) Special programmes for eradication of poverty and generation of employment are being implemented throughout the country. The major poverty alleviation programmes, which provide employment in the rural areas are—Swarna Jayati Gram Swarozgar Yojana, Jawahar Gram Samriddhi Yojana, Employment Assurance Scheme and Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. In the urban areas, Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yajana (SJSRY) is in operation since 1.12.97 for providing gainful employment to the poor. Prime Minister's Rozgar Yojana is being implemented to provide employment opportunities to educated unemployed youth in both rural and urban areas.

(ii) Ninth Plan has accorded priority to agriculture and rural development with a view to generating adequate productive employment and eradication of poverty. The Plan has focused on sectors, sub-sectors and technologies which arc labour intensive, in regions characterized by higher rates of unemployment and underemployment. According to NSSO estimates, total employment in the country has risen from 374 million in 1993-94 to 397 million in 1999-2000 (based on Usual Principal and Subsidiary Status).

(iii) Task Force under Chairmanship of Dr. M.S. Ahluwalia was set up by the Planning Commission to suggest strategies for employment generation for achieving the target of providing employment opportunities to one crore people per year on an average over the next 10 years. In the report, which has

recently been received, several suggestions have been made to improve the quality of employment both in the organized and unorganised sector.

(iv) The Minimum Wages Act, 1948 has been enacted to safeguard the interests of the workers mostly in the unorganised sector. Under the provisions of the Act, both Central and State Governments are the appropriate governments to fix, review, revise and enforce payment of minimum wages to the workers in respect of scheduled employments under their jurisdictions.

(v) Second National Commission on Labour has been requested to review the various labour laws and suggest an umbrella legislation for ensuring a minimum level of protection to the workers in the unorganised sector.

श्रीमती सरोज दूबे: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है असंगठित क्षेत्रों में देश के कर्मकार देश के श्रम बल का 92 प्रतिशत हैं और इसी उदारीकरण और वैश्वीकरण के चलते इनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन और बढ़ने की संभावना है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और कर्मकारों की दशा में सुधार के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना,जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये तमाम योजनाएं माननीय मंत्री जी ने गिनाई हैं और जहां तक मुझे मालूम है ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि जो योजनाएं गिनाई गई हैं,इनमें रोजगार के कितने श्रम दिवस होते हैं, इसका कभी सर्वे कराया गया है? जो 92 प्रतिशत असंगठित लोग हैं इन कर्मकारों के कितने हाथों को काम दिया गया है, इससे बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है, इसका कभी आपने आकलन किया है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जब 92 प्रतिशत से अधिक लोग असंगठित क्षेत्रों में हैं तो उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और उनके कार्य की दशा भी तय होनी चाहिए। जिस तरह से वैस्ट बंगाल सरकार ने कर्मकारों की दशा सुधारने के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लागू की है तथा केरल और तमिलनाडु में भी इस तरह की योजना चल रही है तो क्या माननीय मंत्री जी इन कर्मकारों की दशा को सुधारने के लिए इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इनके कार्य के घंटे नियत करने के लिए, समान वेतन देने के लिए कुछ करेंगे? ठेले वाले, रिक्शे वाले, सिर पर बोजा ढोने वाले और ठेला खींचने वाले के साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके घर चूल्हा नहीं जलता है तो इन्हें भी कोई बेरोजगारी भत्ता देंगे? तमिलनाडु और वैस्ट बंगाल की तरह इनके लिए आप कोई प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था कर रहे हैं? आपने दावा किया है कि इनकी दशा सुधरी है। हमारे साथी एन.डी. ओझा साहब भारतीय खेल मजदूर संघ के महासचिव हैं। इन्होंने बताया

कि आज पूरे देश में खेतिहर मजदूरों के धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर उनको इनसे रोजगार मिल रहा है, अगर ये रोजगार की सुरक्षा की गारंटी महसूस कर रहे हैं तो फिर आज पूरे देश में हड़ताल और धरने क्यों हो रहे हैं?

डा. सतयनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, प्रश्न की व्यापकता है, विस्तार से है। जैसा माननीय सदस्या ने कहा है...

डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद: लेकिन आप में जवाब देने की क्षमता है।

डा. सतयनारायण जटिया: आपका धन्यवाद। जो रोजगार के अवसर हैं और जो रोजगार सृजन हो रहे हैं, आपने कहा कि सरकारी योजनाएं हैं और इनको जिस प्रकार से कार्यन्वित किया जा रहा है, इसमें बड़ी कठिनाइयां हैं। योजनाओं का लाभ बराबर पहुंचता नहीं है। इन सारी संभाननाओं के रहते हुए भी सरकार ने योजनाओं को जारी रखा है और इस उम्मीद से जारी रखा है कि इनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में केन्द्र और राज्य दोनों की भागीदारी रहती है। इसमें जो रोजगार की स्थिति है, जितना लोगों को इनसे लाभ मिला है, जितना आबंटन हुआ है, इनके सारे आंकड़े मेंरे पास हैं।

श्रीमती सरोज दूबे: इनसे रोजगार बढ़ा है या घटा है, आप हमें आंकड़े बता दीजिए।

डा. सतयनारायण जटिया: निश्चित रूप से इन योजनाओं से रोजगार मिला है। आप यह जानना चाह रही हैं कि बेरोजगार की दर में वृद्धि हुई या नहीं तो इसकी स्थिति यह है कि जो जनसंख्या रोजगार मांग की है इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में कमी हुई है और कहीं ज्यादा हुई है। जिन क्षेत्रों में रोजगार के उपाय किए गए हैं...(**व्यवधान**)... आप चाहें तो मैं इनके सारे आंकड़े दे सकता हूं। हमारे पास जो फीगर्स हैं उनके अनुसार एग्रीकल्चर सैक्टर में 1999 में 2 करोड़ 37 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। माईनिंग और क्वेरी में 4 करोड़ 80 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, इलैक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई में जो नए रोजगार सृजित हुए हैं वे 12 लाख हैं। कंस्ट्रक्शन में निरंतर वृद्धि हो रही है, मैन्युफैक्चर्स में बढ़ा है। इलैक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई में बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन के मामले में यदि आप पिछले बीस वर्षों के आंकड़े देखें तो पाएंगे इनमें काफी वृद्धि हुई है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: पूरी कंट्री में कंस्ट्रक्शन तो बन्द पड़ा है फिर इसमें रोजगार कैसे बढ़ेंगे?

डा. सतयनारायण जटिया: कंस्ट्रक्शन में बढ़ा है, ट्रेड में बढ़ा है, ट्रांस्पोर्ट में बढ़कर एक करोड़ 40 लाख तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ा है रोजगार बढ़ा भी है और कई क्षेत्रों में घटा भी है क्योंकि नये-नये रोजगार सृजित हो रहे हैं। सभापति जी, यह तो हमें समझना होगा कि पुराने रोजगार जा रहे हैं और नये रोजगारों का सृजन

हो रहा है। नई इंडस्ट्रीज आ रही है और पुरानी जा रही है। जैसे-जैसे पुरानी इंडस्ट्रीज जा रही हैं वैसे-वैसे पुराने रोजगार भी जा रहे हैं। जब पुराने रोजगार जा रहे हैं तो वे लोग जो पुराने ढंग से प्रशिक्षित हैं और वे रोजगार जिनके काम करने की दशाएं पुरानी हो गई हैं, वे बंद हो रहे हैं। लेकिन कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जैसा मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट है इन सारे क्षेत्रों में रोजगार बढ़े हैं। अतः इस प्रकार से जो रोजगार वृद्धि के बारे में जानकारी मांगी गई थी वह दे दी गई है। जहां तक...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: हमने सवाल यह उठाया था कि कितने पुराने रोजगार खत्म हुए और कितने नये रोजगारों का सृजन हुआ?

डा. सतयनारायण जटिया: जहां तक सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी चिंता निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्रों के लिए है। अभी हमने इसी वर्ष जुलाई के महीने में एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है जिसमें खेतिहर श्रमिकों के लिए कृषि ....(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप इच्छा का प्रकटीकरण करते जा रहे हैं लेकिन फल क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सभापति जी,यह कमेंट्री बंद होगी या नहीं होगी ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: जो चाहते हैं वे वहीं से बोल रहे हैं...(**व्यवधान**)...

डा. सतयनारायण जटिया: सामाजिक क्षेत्र में...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरोज दूबेः जो बात गले नहीं उतरती उसे कैसे सुनें...(**व्यवधान**)...

डा. सतयनारायण जटिया: जो यथार्थ है मैं वहीं बोल रहा हूं और आप...(**व्यवधान**)... असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या कृषि मजदूरों की है। इसमें लगभग साढ़े सात करोड़ श्रमिक हैं, खेतिहर मजदूर हैं। इनके लिए ''कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001'' को एक जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत एक रुपया मजदूर की ओर से कंट्रीब्यूशन होगा और दो रुपये सरकार अपनी ओर से मिलाएगी। इससे सरकार वर्ष भर में मजदूर से 365 रुपए प्राप्त करेगी और अपनी ओर से 730 रुपए मिलाएगी । इस योजना में 18 से 50 साल की अवधि में कभी भी आया जा सकता है। इस योजना में एक्सीडेंट, डिसएबल्ड या मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति देने के उपाय हैं। पूरी योजना में कंट्रीब्यूट करने के बाद उसे ढ़ाई लाख रुपए बीमा राशि मिलने वाली है तथा साथ ही साथ 1800 रुपए प्रति माह पेंशन देने का काम शुरू होने वाला है...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: बेरोजगारी बढ़ चुकी है ये इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं Sir, if you see Question No. 276, in that the Minister himself has replied that the unemployment in the country has gone up. *(Interruptions)*

डा. सतयनारायण जटिया: सभापति जी, जो योजना हमने लागू की है वह आजादी के पच्चीस सालों में कभी भी लागू नहीं की गई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले भारतीय सम्मेलन में इस योजना की उदघोषणा की थी और इस उदघोषणा के तुरंत बाद हमने एक जुलाई से इसे लागू करने का निर्णय लिया था। जहां-जहां इस प्रकार की संभावनाएं हैं वहां-वहां इसे लागू करने का काम करने वाले हैं। यह एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें देश के साढ़े सात करोड़ लोगों के लिए, जिनके लिए हम सबकी चिंता है, एक प्रयास शुरू किया है और इसमें उस मजदूर का हित होने वाला है जिसे वृद्धावस्ता में इसकी ज्यादा आवश्यकता है। जब उसे बीमित राशि के ढाई लाख रुपए मिलेंगे और 1800 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी तो यह एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा योजना सिद्ध होगी। इस प्रकार से हमने साढ़े सात करोड़ का प्रबंध किया है। माइन्स में काम करने वाले लोगों के लिए हमने कल्याण निधि स्थापित की है। बीड़ी रोलिंग का काम करने वाले लोगों के लिए संसद में प्रति हजार पर एक रुपये का अधिकार दिया गया था हमने उसे दो रुपये प्रति हजार करके अस्सी करोड़ इकट्ठा करने का उपाय किया है। इसमें उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा, मकान बनाने वाली बातें शामिल हैं। हमने असंगठित क्षेत्र का धीरे-धीरे दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है और उस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। इसी तरह से आगे की योजना के बारे में पूछा गया था, जैसे वेतन के बारे में, तो वेतन के लिए हमने मिनिमम वेजज सुरक्षित किए हैं। केन्द्र सरकार का अपना दायरा है और राज्य सरकारों का अपना दायरा है। मिनिमम वेजेज के आंकड़े मेंरे पास पूरी तरह से मौजूद हैं कि किस किस राज्य ने क्या क्या घोषित किया है। केन्द्र सरकार के दायरे में जो रोजगार आते हैं उसमें क्या क्या करना है, यह हमने घोषित किया है। इसी तरह उनके वेतनमानों के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में और रोजगार सृजन करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के उपाय कर रही है और इसके माध्यम से हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में देश को बहुत काम करने की जरूरत है।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: 50 जिलों में इसको कार्यन्वित किया जा रहा है जहां खेत मजदूरों की संख्या साढ़े सात करोड़ नहीं है।

श्रीमती सरोज दूबे: महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत सभी लोगों को समान काम का समान वेतन मिल रहा है, इस पर मेरा ऐतराज यह है कि अगर यह असंगठित क्षेत्रों का मामला है तो 1981 की जनगणना के अनुसार 90 प्रतिशत महिलायें जो अन-आर्गनाइज्ड क्षेत्र में काम करती हैं, उनमें से 81 प्रतिशत महिलायें कृषि क्षेत्र में हैं और कृषि में काम करने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार से

समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। पुरुषों को अगर 17 रुपया मिलता है तो महिलाओं को 10 रुपए मिलता है। उनको नियमित वेतन भी नहीं दिया जाता। वे खेतों में काम करती हैं, तो बदले में फसल का थोड़ा सा बोझा उठाकर उनको दे दिया जाता है। महिलायें जो हैं उनको खेतों में भी काम करना पड़ता है, घर में भी काम करना पड़ता है लेकिन उनके लिए कोई सपोर्टिव मेजर नहीं है। उनके लिए क्रेचेज का इंतजाम नहीं है, चाइल्ड केयर का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है और न उनके लिए फ्यूल का इंतजाम है। इन विषम पिरस्थितियों में महिलाओं को काम करना पड़ता है। उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो मिनिमम वेजेज अधिनियम के अन्तर्गत दयनीय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो मिनिमम वेजेज अधिनियम के अतर्गत मैटरनिटी बेनिफिट, काम की दशायें, वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी देने की बात है, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? आपने अभी बहुत सुनहरी और सुन्दर योजना बताई। हम इस सुनहरी और सुन्दर योजना का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। वह सुबह कभी तो आएगी। आप नहीं लायेंगे तो कोई तो लाएगा। मैं कहना चाहती हूं कि अशिक्षा के कारण, महिलाओं के पास कोई च्वाइस न होने के कारण, कोई अल्टर्नेट न होने के कारण उनको बड़ी मुसीबतों में काम करना पड़ता है। उनसे ज्यादा घंटे काम लिया जाता है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वे इस सारी बातों को देखते हुए महिलाओं की कार्य-दशा को सुधारने के लिए क्या कोई कदम उठायेंगे?

डा. सतयनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, सरोज बहन ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। अभी रक्षा बंधन का उत्सव भी गया है इसलिए निश्चित रूप से उनसे अपने प्रति सदभावना की अपेक्षा जरूर रख सकता हूं और इसी दृष्टि से उन्होंने यह कहा है कि मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा करेगा। लेकिन अभी मैं हूं तो आप मेरे प्रति ही विश्वास रखिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपने पूछा है, मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमने अक्टूबर 2000 को मिनिमम वेजेज है और 13 रुपए 74 पैसा वेरिएबल डीए है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने मिनिमम वेजेज घोषित करने का काम सेंट्रल सेक्टर में किया है। स्टेट के दायरे में राज्य सरकारें अपनी तरफ से फैसला करती हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का जो विषय है वह केन्द्र और राज्य के बीच विभाचित है। बाकी जो हजारों कंस्ट्रक्शन मजदूर लगे हुए हैं उनके लिए केन्द्र और राज्य के बीच विभाजित है। बाकी जो हजारों कंस्ट्रक्शन मजदूर लगे हुए हैं उनके लिए केन्द्र और राज्य के बीच विभाजित है। बाकी जो हजारों कंस्ट्रक्शन मजदूर लगे हुए हैं उनके लिए केन्द्र ने अधिनियम बनाया हुआ है और उसमें हमने कहा हुआ है कि राज्य सरकारें इस बारे में अपने यहां भी इसी प्रकार का प्रबंध करे जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध हो सके। इस आधार पर पहले ही तमिलनाडु और केरल में कुछ उपाय किए गए हैं। मैंने राज्य सरकारों को अनेक बार पत्र लिखे हैं और उनके मुख्य मंत्रियों और श्रम मंत्रियों को निरंतर कहा है कि वे कन्सट्रक्शन वर्कर्स के बारे में अपनी सामाजिक सुरक्षा की योजना की घोषणा करें। वहां से हमें जितने जवाब मिले हैं उनके आधार पर हम उम्मीद करते हैं कि इस बारे में कोई निर्णय हो जाएगा और हम सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में संसद के

माध्यम से ऐसा कानून कोई बना सकते हैं जैसा हमने बीड़ी वर्कर्स के बारे में और माइन्स वर्कर्स के लिए बनाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में भी करेंगे। इस दृष्टि से सरकार हर प्रकार से चिंतित हैं। आप जानते हैं कि देश में 40 करोड़ श्रमबल हैं जिसमें से निश्चित रूप से 36 करोड़ ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं। असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को हमें बढ़ाना है और उनके रोजगार की सुनिश्चितता के बारे में हमें विचार करना है। धीरे-धीरे सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हम प्रगति करेंगे।

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, while explaining the steps taken by the Government to improve the conditions of the workers in the unorganised sector, the hon. Minister has stated that the Minimum Wages Act had been enacted, the minimum wages are being decided by the Central and the State Governments and the same are being reviewed at regular intervals. That is what has been said. As I have pointed out here on several occasions, the Minimum Wages Act is being observed more in breach than in implementation. It is a fact. If the hon. Minister makes an enquiry into it, he can understand. In some cases, the minimum wages arc fixed but, at the same time, the Central or the State Governments are not refixing or reviewing the wages, as mandated by the law. The Governments themselves are also violating the law. In a majority of the cases, the minimum wages are not being paid. And, as a result, the workers are not getting the benefit. Sir, one of the important sections of workers in the unorganised sector is agricultural workers and, today, the agricultural workers are staging a demonstration all over the country. What is their demand? Their demand is: A revision in their wages, providing more employment and also a comprehensive law for providing welfare measures.

My first supplementary is: Will the hon. Minister take steps to study the manner in which the Minimum Wages Act and its provisions arc being implemented? I would also like to know whether the hon. Minister will take steps to rectify the deficiencies in the machinery that is there to implement the provisions of the Minimum Wages Act.

My second supplementary is regarding providing welfare measures to these people. Will the Government bring before Parliament a Bill

providing for welfare measures, including assistance for their children to carry on education, for housing and for age old pension? Some such things will have to be done. In fact, the necessity is much more today because, when the agricultural prices are falling down, the main victims are the agricultural workers. The prices are coming *down...(Interruptions)...Just,* wait...*(Interruptions)*...The mandays are coming down...*(Interruptions)*...Just wait.

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति जी, यह क्षेत्र हो रहा है या भाषण हो रहा है?...(**व्यवधान**)... सात मिनट में एक प्रश्न किया जाएगा।...(**व्यवधान**)... हमें समय ही नहीं मिलता है। सात-सात मिनट एक रन किया जाएगा, 10 मिनट सरोज जी ने प्रश्न किया, सात मिनट से यह प्रश्न कर रहे हैं...(**व्यवधान**)...

श्र नागेन्द्र नाथ ओझाः आप चेयरमैन को डायरेक्शन दे रहे हैं?...(**व्यवधान**)...

श्री टी.एन. चतुर्वेदी : फरियाद कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

SHRI J. CHITHARANJAN: They are not geting full employment ... *(Interruptions)...* Mr. Narendra Mohan, please... *(interruptions)...Therefore,* my supplementary is: Will the Government consider introducing a policy providing for various welfare measures for the entire agricultural workers.

डा. सतयनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य की चिंता है कि श्रम कानूनों को और विशेषकर न्यून्तम वेतन अधिनियम को और प्रभावशाली करने के लिए, उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे कि न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सके।यह हम सबकी चिंता है। परंतु राज्य सरकारों का दायित्व इसमें है और राज्य सरकारों ने जो न्यून्तम वेतन सुनिश्चित किया है वह सब लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके कानून का यदि उल्लंघन हो रहा है तो इस पर भी कार्यवाही करने का प्रावधान है। मेरे पास सभी प्रदेशों में जो न्यून्तम वेतन दिया जा रहा है, प्रतिदिन जो दिया जा रहा है उसके आंकड़े हैं – आंध्र प्रदेश में 27 रुपए से 63 रुपए तक है, कर्नाटक में 26 रुपए से 74 रुपए तक है, केरल में 30 रुपए से 164 रुपए तक है, तमिलनाडु में 65 से 115 रुपए तक है, पांडिचेरी में...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय: इसमें दस साल से कोई रिविजन नहीं हुआ है...(**व्यवधान**)... There has been no revision for the last ten years...*(Interruptions)*...

डा. सतयनारायण जटिया: यह मैं 30 जून, 2000 के आंकड़े बता रहा हूं...

SHRI JIBON ROY: We get similar type of answer, whenever a question is put...*(Interruptions)*... कंप्यूटर मशीन में से जवाब दिलवा देते हैं

....(**व्यवधान**)...There has been no discussion on labour for the last ten years ...*(Interruptions)*... Every time we get the same type of answer ...*(Interruptions)*... दस साल से लेबर पर कोई डिसकशन नहीं हुआ है। क्वेश्चन था कोई जवाब नहीं मिला। टिपिकल टाइप के आन्सर्स हैं...(**व्यवधान**)... सेम टाइप के टिपिकल आन्सर्स कंप्यूटर में हैं जो निकालकर दे देते हैं उस जवाब से काम नहीं चलता है...(**व्यवधान**)... We want a full-fledged discussion on labour ...*(Interruptions)*... There has been no discussion for the last ten years.

डा. सतयनारायण जटिया: मैं बता रहा हूं पश्चिम बंगाल में बता सकता हूं ...(**व्यवधान**)... पश्चिम बंगाल के लिए जो मिनिमम वेज 30 जून, 2000 को सुनिश्चित किया गया है वह 48.21 रुपए तक है...(**व्यवधान**)... यह 48 रुपए से 87 रुपए तक है। मैंने पहले जो बताया था वह दक्षिण क्षेत्र के लिए बताया था। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र में बिहार में 50.19 रुपए से...(**व्यवधान**)... बंगाल में बाकी की तुलना में काफी कम है। बिहार से भी कम है। माननीय सभापति जी, बंगाल में यह न्यूनतम वेतन 48 रुपए है और बिहार में यह 50 रुपए है। इस तरह से अंडमान निकोबार में यह 50 रुपए है ...(**व्यवधान**)... और पश्चिम बंगाल में कम है...(**व्यवधान**)...

SHRI JIBON ROY: What is happening, do you know? The House should know what is happening in the country. ...*(Interruptions)*... You may kill labour ...*(Interruptions)*... You may kill everything, but the country should know what is happening to labour ...*(Interruptions)*... The country should know ...*(Interruptions)*... You do not know what is happening in the country ...*(Interruptions)*... Disaster! ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, इसी तरह सदन चलेगा क्या?

MR. CHAIRMAN: No, no. Nothing will go on record, except the question ...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY:'

MR. CHAIRMAN: Please sit down ...*(Interruptions)*... The way Mr. Jibon Roy has referred to my observations must be expunged. ... *(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: If I have said anything ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. This is not the way ... *(Interruptions)*...

---

*Not recorded.

SHRI JIBON ROY: If I have said anything, I beg your apology ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, nothing will go on record ...*(Interruptions)*... You go on commenting on the Chairman ...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: Sir, I had no such intention ...*(Interruptions)*... I beg your apology ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record ...*(Interruptions)*...

डा. सतयनारायण जटिया: सभापति जी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कि असंगठित क्षेत्र के बारे में जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं उनसे सरकार अवगत है और सरकार की पूरी कोशिश होगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने की दृष्टि से उनकी सामाजिक सुरक्षा करने का प्रबंध करने की दृष्टि से सरकार हर प्रकार के, हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संदर्भ में उनकी जो चिंताएं हैं उनसे मुझे अवगत कराएं, निश्चित रूप से मैं इस क्षेत्र में जो कुछ भी उनके लिए कर सकता हूं, अधिक से अधिक करने की कोशिश करूंगा।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Adequate Storage Capacity for the Paddy Crop

*263. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have made any arrangements for adequate godown capacity before the paddy crop comes in market in next few months;

(b) whether Government have streamlined its machinery for procurement of paddy from farmers so that they are not forced to resort to distress sale; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (c) The Central Government has advised the Food Corporation of India (FCI) as well as the concerned State Governments to create